न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 01/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/142

1. सुभाष पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी 4 एनएम तहसील व जिला अनूपगढ़

—निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत 20 एलएम पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 20 एलएम पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला अनूपगढ

—गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :—

1. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. गैरनिगरानीकर्तागण, स्वयं उपस्थित

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 29.10.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. निगरानीकर्ता के द्वारा जरिए अधिवक्ता यह निगरानी सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 20 एलएम पंचायत समिति अनूपगढ़ के द्वारा राजूराम पुत्र मल्लूराम चक 4 एनएम को जारी नोटिस क्रमांक2024—25/26 दिनांक 09.07.2024 जिसके द्वारा राजूराम पुत्र मल्लूराम को सरकारी पक्के खाले पर अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया है के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, और निगरानी स्वीकार कर उक्त नोटिस को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकर्तागण को तलब किया गया। गैरनिगरानीकर्तागण सं. 1 व 2 ने संयुक्त रूप से कार्यालय ग्राम पंचायत 20 एलएम की ओर से प्रतिवेदन क्रमांक/2024—25/62 दिनांक 04.10.2024 मय दस्तावेज पेश कर निगरानी खारिज करते हुए अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश जारी करने के लिए निवेदन किया।
3. वकील निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण स्वयं को सुना गया। वकील निगरानीकर्ता निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता गांव 4 एनएम ग्राम पंचायत 20 एलएम पंचायत समिति अनूपगढ़ का निवासी है गांव आबादी 4 एनएम के भूखण्ड पर निगराकार अपने रिहायशी मकानात बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है लेकिन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्रामवासी वकील कुमार द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर को प्रार्थना पत्र देकर की गई शिकयत का हवाला देते हुए नोटिस प्रार्थी को इस काश्य का दिया है कि प्रार्थी द्वारा सरकारी पक्के खाला पर अतिक्रमण कर रखा है जो सात दिवस के भीतर अतिक्रमण हटा ले जिससे व्यथित होकर निगरानी पेश की है। नोटिस विधि विरूद्ध है, ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नोटिस दिया गया है। नोटिस जारी करने से पूर्व भूखण्ड के संबंध में जांच नहीं की गयी है। बिना सुनवाई का अवसर दिए नोटिस जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड पर 40 वर्षों से अधिकार व अधिपत्य निगरानीकर्ता का चला आ रहा है। जिस जगह पर अपने मकानात बना रखे है उस जगह पर किसी प्रकार का कोई खाला रास्ता अथवा किसी सरकारी संस्था या सरकारी जगह को अवरूद्ध नहीं करती ना ही गांव की सार्वजनिक फिरनी की जगह है। ना ही उस जगह से कोई सरकारी पक्का खाला जाता है ना ही इस खाला से डिग्गीयों में पानी भरा जाता है। गांव में पीने के पानी के लिए वाटरवर्क्स बना हुआ है। कोई खाला अस्तित्व में नहीं है खाली जगह पर कचरा व मिटटी है। रंजिशवश प्रार्थी का मकान तुडवाना चाहते है। अनुचित नोटिस प्रार्थी के पिता के नाम जारी किया गया है। नोटिस विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

4. गैरनिगरानीकर्तागण कथन किया कि प्रार्थी के पिता राजूराम के द्वारा चक 4 एनएम की आबादी में सरकारी खाले की जगह पर अतिक्रमण किया गया था जो पूर्व में हटा दिया गया था। पुनः अतिक्रमण किया गया है। इस पर ग्रामवासियों द्वारा शिकायत श्रीमान् जी के समक्ष किये जाने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति अनूपगढ़ के आदेशों की पालना में गठित कमेटी के द्वारा मौका निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे जिस पर प्रार्थी के पिता को नोटिस जारी किया गया है। निगरानी गलत तथ्यों पर आधारित हैं खारिज कर अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में निगरानीधीन नोटिस दिनांक 09.07.2024 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 20 एलएम के द्वारा राजूराम/मल्लूराम चक 4 एनएम को जारी किया गया कि आपके द्वारा सरकारी पक्के खाले पर अतिक्रमण किया गया है को 7 दिवस में हटा कर कार्यालय को सूचित करें। जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता ने निगरानी पेश की है। नोटिस निगरानीकर्ता के पिता को जारी किया गया है लेकिन निगरानी पुत्र द्वारा पेश की गयी है, राजस्थान पंचायतराज अधिनियम की धारा 97 के तहत हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा निगरानी पेश की जा सकती हैं निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत की ओर से नोटिस जारी नहीं किया गया है फिर भी निगरानीकर्ता को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार किस प्रकार प्राप्त है निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में अंकित नहीं किया है। गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिस अनुसार जांच कमेटी द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति अनूपगढ़ को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 16.03.2020 में मौका निरीक्षण में ग्राम पंचायत द्वारा डिग्गी मय मय नाली का निर्माण करवाया जाना और नाली पर मिटटी होने के कारण दिखाई नहीं देना और उपयोग में नहीं होना व अप्रार्थी राजूराम पुत्र मलराम द्वारा अतिक्रमण करना पाये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जो रिपोर्ट विकास अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को प्रेषित की गयी। गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त अतिक्रमण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.01.2021 को हटा दिया गया था। पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम वासी वकील कुमार निवासी 4 एनएम द्वारा जनसुनवाई में जिला कलक्टर अनूपगढ़ के समक्ष अतिक्रमण हटाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर विकास अधिकारी के निर्देशानुसार गठित तीन सदस्यीय जांच कमेटी द्वारा दिनांक 10.07.2024 को जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी अनूपगढ़ को प्रस्तुत की है जिसमें उनके द्वारा मौके पर जांच करने में अप्रार्थी राजूराम द्वारा अतिक्रमण करना पाया जाना अंकित किया है।
6. ऐसी स्थिति में चूंकि पूर्व में दो बार जांच कमेटी द्वारा जांच किये जाने पर अतिक्रमण पाया गया है हालांकि जांच रिपोर्ट दिनांक 16.03.2020 में नाली का मिटटी के कारण दखाई नहीं देना और उपयोग में नहीं होने का अंकन है और उक्त नाली का ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण करवाये जाने का अंकन है। ऐसे में निगरानीकर्ता का यह कथन कर देना कि किसी खाले का अस्तित्व नहीं है स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राजकीय सम्पत्ति का उपयोग नहीं होने की दशा में भी किसी व्यक्ति को उस पर अतिक्रमण के अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। कमेटी जांच रिपोर्ट में मौके पर राजूराम द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन नोटिस विधिसम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। निगरानी खारिज योग्य है।
7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अखिलेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़